



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03062022-236264
CG-MH-E-03062022-236264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2422]
No. 2422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISTHA 13, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद नीचे उल्लिखित पैरा, पिछली ई-गजट अधिसूचना संख्या 235691
दिनांक 09.05.2022 में उल्लिखित पैरा का स्थान ले लेगा)

मुंबई, 3 जून, 2022

का.आ. 2549(अ). —केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11वा) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 31 जनवरी, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 394 (अ) तारीख 31 जनवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, अधिसूचना संख्या 233094) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, कल्याण-कसारा तीसरी लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् “नवराष्ट्र (मराठी)”, व “नवशक्ती (मराठी)” में तारीख 12 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और, 20 गावों में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में तालुका शहापूर के अंतर्गत 20 गावों का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिला अधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्र. ३, ठाणे के अधीन विशेष रेल परियोजना कल्याण-कसारा तीसरी लाइन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

[फा. सं. G197/2022/GOM/KYN-KSRA/शुद्धिपत्र-235691]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

CORRIGENDUM

(AFTER THE PUBLICATION OF THIS NOTIFICATION, THE PARAGAPH MENTIONED BELOW WILL REPLACE THE PARAGRAPH MENTIONED IN THE PREVIOUS E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 235691 DATED 09.05.2022)

Mumbai, the 3rd June, 2022

S.O. 2549(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 394 (E) dated the 31st January, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 31st January, 2022 (hereinafter referred to as the said notification, notification no. 233094) and issued under Sub-section (1) of section 20 A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Kalyan-Kasara 3rd line in the district of Thane in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Navrashtra (Marathi)”, and “Navshakti (Marathi) Dated 12th February, 2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in 20 villages, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project Kalyan-Kasara 3rd line in 20 villages in Shahapur Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Deputy Collector (Land Acquisition) Metro Centre No. 3, Thane in the State of Maharashtra.

[F. No. G 197/2022/GOM/KYN-KSRA/Corrigendum-235691]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)